



Director

DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION

(SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY)
JOBNER, DISTRICT-JAIPUR, RAJASTHAN -303329

प्रसार शिक्षा निदेशालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) 303329

Email: director.ext@sknau.ac.in

No. DEE/Acctt/Tender/2026/ 384

Dated: 20-06-2026

खूली निविदा सूचना

प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर पर चल रहे कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों, मासिक बैठकों, संगोष्ठियों, क्षेत्र दिवसों एवं किसान मेलों में अधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों, किसानों एवं आमंत्रित सदस्यों के लिए नाश्ता, दोपहर व रात्रि भोजन की आवश्यकता होती है।

सभी कैंटीन, कैंटीन मालिकों, ढाबा व्यवसायियों व हलवाईयों से चाय नाश्ते, दोपहर व रात्रि भोजन के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदा दाता अपनी दरों को निर्धारित प्रपत्र में भर कर मोहरबंद निविदाएं निम्नानुसार कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

1.	कार्य का विवरण	प्रशिक्षणों व कार्यक्रमों में चाय नाश्ते, दोपहर व रात्रि भोजन की व्यवस्था
2.	कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	रूपये 5.0 लाख
3.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपये 500
4.	धरोहर राशि	10000
5.	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	01.07.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की दिनांक व समय	01.07.2026 दोपहर 2.00 बजे

निदेशक, प्रसार शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा हेतु अपना नामित सदस्य नियुक्त करवायें।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।
- श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, प्रसार शिक्षा निदेशालय श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।
- श्रीमान् प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
- सूचनापट्ट।

निदेशक, प्रसार शिक्षा

निविदा प्रपत्र

निविदा-प्रस्तुत करने वाले का नाम -

पता

मोबाइल नम्बर -

GST/TAN Number -

निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों से सहमत एवं मंजूर है।

चाय नाश्ते, दोपहर व रात्रि भोजन

क्र.सं.	चाय नाश्ता विवरण सहित	दर बिना GST (रु)	GST %	GST (रु)	कुल दर (रु)
1.	चाय (150 एम.एल.)				
2.	कॉफी (150 एम.एल.)				
3.	एक पीस मिठाई मावे की (70 ग्राम)				
4.	एक समोसा/कचोरी/पकोड़ी (100 ग्राम)				
5.	साधारण नाश्ता - एक पीस मिठाई मावे की (70 ग्राम), एक समोसा/कचोरी व वेफर्स				
6.	वी.आई.पी. नाश्ता - एक पीस मिठाई मावे की (50 ग्राम प्रत्येक), एक समोसा/कचोरी, (70gm)वेफर्स व एक सीजनल फल				
7.	नमकीन पैकेट (बाजार में उपलब्ध वजन)				
8.	बिस्किट पैकेट (बाजार में उपलब्ध वजन)				
9.	दही (100 ग्राम)				
10.	आलू पराठा-2 मय आचार				

क्र.सं.	दोपहर व रात्रि भोजन विवरण सहित	दर बिना GST (रु)	GST %	GST (रु)	कुल दर (रु)
1.	रोटी/पूड़ी, एक सीजनल सब्जी, एक दाल व एक पीस मिठाई मावे की (70 ग्राम)				
2.	रोटी/पूड़ी, एक सीजनल सब्जी, एक दाल				
3.	रोटी/पूड़ी, एक सीजनल सब्जी, एक दाल,बून्दी (100gm)				
4.	दाल, बाटी, चुरमा (देशी घी में), कढ़ी, पापड़, नीम्बू				
5.	खीर-जलेबी/रवे का हलवा, पूड़ी व एक सीजनल सब्जी				
6.	रोटी, चावल, एक सीजनल सब्जी, एक पनीर की सब्जी, एक दाल फ्राई, रायता, सलाद, 1 पीस मिठाई (गुलाब-जामुन/रसगुल्ला/मावे की बर्फी)				
7.	आईसक्रीम कप (बाजार में उपलब्ध वजन)/ज्यूस पैकेट/लस्सी				
8.	खाना पैकेट - 8 पूड़ी, एक सूखी सब्जी, आचार एक पीस, एक लड्डू (50 ग्राम)				
9.	पानी बोटल				
10.	Cold Drink				

Gaith

निविदादाता का हस्ताक्षर -

निविदादाता का नाम -

निविदा के नियम व शर्तें

1. निविदा प्रपत्र नगद रूपये 500/- अदा करके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा वेबसाईड से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
2. निविदा की धरोहर राशि रूपये 10000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
3. सफल निविदा दाता को 500/- रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
4. जी.एस.टी. का पंजिकरण आवश्यक है तथा जी.एस.टी. पंजिकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
6. राजस्थान खाद्य मिलावट निरोधक नियम 1957 के तहत धारिक अनुज्ञापत्र की छाया-प्रति संलग्न करना होगी।
7. खाना बनाने में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री आटा, तेल, घी एवं मसालें एगर्माक वाले होने चाहिए।
8. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानकस्तर की होनी चाहिए, संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग से सेम्पल परीक्षण करवाया जा सकता है।
9. किसी भी प्रकार की भोजन विषाक्तता आदि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
10. अनुभव प्रमाण-पत्र यदि कोई हो तो संलग्न करें, अनुभवी को वरियता दी जायेगी।
11. बिल का भुगतान बिल पारित होने पर ऑन-लाईन सीधे बैंक खाते में या ऑफ-लाईन चैक द्वारा, जो भी सम्भव हो द्वारा किया जायेगा।
12. फर्म के बैंक खाते का केन्सिल चैक संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता को भोजन परोसने एवं खाना बनाने के बर्तन आदि समस्त व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. निविदादाता को सभी को भोजन कराने के पश्चात् सफाई करवाना सुनिश्चित करना होगा।
15. खाना प्रसार शिक्षा निदेशालय परिसर में ही बनाना होगा, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण स्थान पर भी बनाना पड सकता है।
16. यदि निविदादाता कार्यालय मेस या कमरे का उपयोग लेना चाहता है तो उसे नियमानुसार बिजली का बिल तथा किराया जमा कराना होगा।
17. नाश्ता, दोपहर व रात्रि भोजन की संख्या कम व अधिक की जा सकती है।
18. दरों का निर्धारण सभी दरों को जोड़ने के पश्चात् जो न्यूनतम होगी, उसी आधार पर होगा।
19. एक वर्ष तक निविदा को आवश्यकतानुसार समान दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
20. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानकस्तर न होने या कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक प्रसार शिक्षा के पास सुरक्षित रहेगा। एवं नियमानुसार आवश्यक कटौती की जावेंगी।
21. फर्म द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक का तीन वित्तीय वर्ष का टर्नओवर राशि 10 लाख होनी चाहिए। पत्र संलग्न करें।
22. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि 3% (कार्य आदेश) का।



निविदादाता का हस्ताक्षर -

निविदादाता का नाम -